

(2)

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण कर आदेश जारी करती है कि ऐसे राज्य अस्पतालों, जिनमें परीक्षणों/जांच किए जाने की व्यवस्था है लेकिन किसी जांच / परीक्षण की सुविधा राज्य स्थित उन राजकीय अस्पतालों/मेडिकेयर रितीफ सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है तथा ऐसे परीक्षण/जांच प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की अनुशां पर राजकीय अस्पताल / मेडिकेयर रितीफ सोसाइटी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कर्मचारी द्वारा प्राइवेट क्लिनिकी से कंसल्ट र्स ई. ऐसी जांचों/परीक्षणों पर व्ययित राशि का 50% अथवा 500/- रुपये जो भी कम हो, तक का पुनर्भरण स्वीकृत करने हेतु क्वर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे। लम्बित प्रकरण भी उपरोक्तानुसार ही निस्तारित किये जायेंगे।

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 20(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 5-4-2003 के अनुसार स्ट्रेस थेतीयम टेस्ट मेडिकल बोर्ड की अनुशां पर कराये जाने संबंधी अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुभाष गंगी) 8/11/2006

शासुन सचिव - सूचीब-भ्रित्त

1. 8 वित्त प्रत्येक पत्रांकित लोड के विषय 1/11/2006 पत्र

प्रतिसिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव
2. समस्त विशिष्ठ सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री / उपमंत्री
3. सचिवालय के समस्त प्रकोष्ठ
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. समस्त कोषाधिकारी
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (7 प्रतियां सहित) (कोडिफिकेशन)
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर (100 प्रतियां उप कोषाधिकारियों के लिये)
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियां)

प्रतिसिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर (25 अतिरिक्त प्रतियां सहित अधीनस्थ विधान तथा समिति के लिये)
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(एम.एल. गुप्ता)

विशेषाधिकारी - I, वित्त (नियम)

(R.S.R. 23 /2006)

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. AVVNL/CAO/AAO (F & R) / F. 1(26) / D. 172 Dated 19-4-2007

1. The Chief-Engineer (O&M/Comml.), AVVNL, Ajmer.
2. The Zonal Chief Engineer (UZ) (UZ), AVVNL, Udaipur/Jhunjhunu.
3. The Dy. Chief Engineer (RPPC), AVVNL, Heerapura, Jaipur.
4. The F.A. & Controller of Accounts, AVVNL, Ajmer.
5. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
6. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
7. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
8. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer
9. The TA to CMD & DCOS, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel, (AZ/UZ/JJZ), AVVNL, Ajmer/ Udaipur / Jhunjhunu.
11. Sr. Accounts Officer (), AVVNL, _____.
12. The Accounts Officer (O&M / IA / FA & Cash / BUDGET / Accts.), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
13. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
14. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
15. The Asstt. Accounts Officer (CPC), AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. to Chairman & Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
17. Office order file / Master file.

By order



(S.M. Mathur)

CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER